

कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पत्रांक - 2106 / 14-1 दिनांक, मुरादाबाद, 18-12-2019.

सदा मे

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
उ०प्र०, लखनऊ।

विषय -

अमरोहा-कॉट मार्ग (MDR-150) कि०मी० 21.840 से 26.540 तक दायी पटरी पर उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा विकसित किये जा रहे नाले के निर्माण हेतु 1.692 हे० सरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 374 वृक्षों के पातन की अनुमति।

संदर्भ -

भारत सरकार पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ का पत्रांक 8वीं/ यू०पी० / 09 / 42 / 2017 / एफ०सी० / 563 दिनांक 03.01.2019

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा विषयक प्रस्ताव में इंगित की गई आपत्तियों का निराकरण प्रभागीय वनाधिकारी वन एवं वन्यजीव प्रभाग अमरोहा ने अपने पत्र संख्या-1897/14-1 दिनांक 06-12-2019 द्वारा बिन्दुवार निम्न प्रकार प्रेषित किया है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी वन एवं वन्यजीव प्रभाग अमरोहा से प्राप्त बिन्दुवार अनुपालन आख्या एवं अभिलेखों की 3-3 प्रतियाँ मूल में सस्तुति सहित अग्रोत्तर कार्यवाही हेतु आपकी सेवा में प्रेषित है-

क्र०सं०	विवरण	आख्या
1	सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्त सं० 6 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम के हुए उल्लंघन के लिए भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्रांक F No. 11-42/2017-FC दिनांक 21.01.2019 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के बिन्दु संख्या B(ii) में निहित निर्देशानुसार वसूलनीय दण्डात्मक एन०पी०वी० की धनराशि (ब्याज सहित) विभाग के पक्ष में जमा नहीं की गई है। अतः राशि की वसूली सुनिश्चित की जाय।	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं० 6 के अनुसार प्रभागीय कार्यालय की पत्र सं० 1749/14-1 दिनांक 23.11.2019 के द्वारा भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र में जारी दिशा निर्देशों के बिन्दु संख्या B(ii) में निहित प्राविधानों के अनुसार दण्डात्मक धनराशि ब्याज सहित आगणन कर जमा करने हेतु याचक विभाग को लिखा गया है। परियोजना प्रबन्धक यूनिट 18 सी० एन्ड डी०एस० जल निगम डी-20 टी०डी०आई० सिटी मुरादाबाद ने अपने पत्र सं० 2049/कार्य-45 / 35 दिनांक 29.11.2019 के द्वारा धनराशि जमा कर सूचित किया है। पत्र की छायाप्रति एवं जमा की गई धनराशि की RTGS/NEFT रसीद धनराशि खाते में जमा होने की उपलब्धता की आख्या की छाया प्रति 3-3 प्रतियों में सलग्न है। (संलग्नक-1)
2	साथ ही उल्लंघन के लिए जिम्मेवार अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध की गई वैधानिक कार्यवाही पूरी करते हुए इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।	याचक विभाग द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन किये जाने पर स्थानीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-33 के तहत वन अपराध सं० 03/2015-16 जारी किया गया। उक्त क्रम में अभियुक्तगणों की ओर से विभागीय फौसला चाहने के अनुरोध पर रुपये 1,00,000/- बतौर मुआवजा वसूल कर विधिक कार्यवाही की गयी। एच-2 केस एवं ई-3 रसीद की प्रमाणित छायाप्रतिया सलग्न है। (संलग्नक-2 व 3)

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(एस०सी० यादव)

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

संख्या 2106

/ 14-1

उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि-

प्रभागीय वनाधिकारी वन एवं वन्यजीव प्रभाग अमरोहा को उनके पत्र संख्या-1897/14-1, दिनांक 06-12-2019 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(एस०सी० यादव)

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी वन एवं वन्यजीव प्रभाग अमरोहा।

पत्रांक 1897/14-1 अमरोहा दिनांक: 6/12/2019

सेवा में,

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र मुरादाबाद।

विषय :-

अमरोहा-काँठ मार्ग कि०मी० 21.840 से 26.540 तक दायी पटरी पर उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा किये जा रहे नाले के निर्माण हेतु 1.692 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस अवस्थित 374 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ :-

भारत सरकार पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ का पत्रांक 8बी/यू०पी०/०९/४२/२०१७/एफ०सी०/ 563 दिनांक 03.01.2019

महोदय,

उपरोक्त प्रश्नगत प्रकरण में नाला निर्माण हेतु अमरोहा काँठ मार्ग की 1.692 है० संरक्षित वन भूमि पर गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 374 वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी। भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति के शर्तों के अनुपालन हेतु परियोजना प्रबन्धक यूनिट 18 सी० एन्ड डी०एस० जल निगम डी-20 टी०डी०आई० सिटी मुरादाबाद को लिखा गया था। याचक विभाग की अनुपालन आख्या प्राप्त होने पर अनुपालन आख्या आपके माध्यम से भारत सरकार को प्रेषित की गई थी। आख्या के परीक्षणोपरान्त भारत सरकार द्वारा अपने संदर्भित पत्र द्वारा दिये गये गये निर्देशों की अनुपालन आख्या संस्तुति सहित निम्न प्रकार प्रेषित है-

क्र०सं०	विवरण	आख्या
1	सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लेखित शर्त सं० 6 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम के हुए उल्लंघन के लिए भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्रांक F No. 11-42/2017-FC दिनांक 21.01.2019 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के बिन्दू संख्या B(ii) में निहित निर्देशानुसार वसूलनीय दण्डात्मक एन०पी०वी० की धनराशि (ब्याज सहित) विभाग के पक्ष में जमा नहीं की गई है। अतः राशि की वसूली सुनिश्चित की जाय।	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं० 6 के अनुसार इस कार्यालय की पत्र सं० 1749/14-1 दिनांक 23.11.2019 के द्वारा भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र में जारी दिशा निर्देशों के बिन्दू संख्या B(ii) में निहित प्राविधानों के अनुसार दण्डात्मक धनराशि ब्याज सहित आंगणन कर जमा करने हेतु याचक विभाग को लिखा गया है। परियोजना प्रबन्धक यूनिट 18 सी० एन्ड डी०एस० जल निगम डी-20 टी०डी०आई० सिटी मुरादाबाद ने अपने पत्र सं० 2049/कार्य-45 /35 दिनांक 29.11.2019 के द्वारा धनराशि जमा कर सूचित किया है। पत्र की छाया प्रति एवं जमा की गई धनराशि की RTGS/NEFT रसीद धनराशि खाते में जमा होने की उपलब्धता की आख्या की छाया प्रति 4-4 प्रतियों में संलग्न है।
2	साथ ही उल्लंघन के लिए जिम्मेवार अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरुद्ध की गई वैधानिक कार्यवाही पूरी करते हुए अवगत कराया जाय।	याचक विभाग द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन किये जाने पर स्थानीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-33 के तहत वन अपराध सं० 03/2015-16 जारी किया गया। उक्त क्रम में अभियुक्तगणों की ओर से विभागीय फैसला चाहने के अनुरोध पर रुपये 1,00,000/- बतौर मुआवजा वसूल कर विधिक कार्यवाही की गयी।

अतः प्रकरण में अग्रोत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक- यथोपरि।

भेददीय

(रमेश चन्द)

प्रभागीय वनाधिकारी
अमरोहा वन प्रभाग, अमरोहा



कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, यूनिट-18,
कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज,
उत्तर प्रदेश जल निगम
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
डी-20, टी0डी0आई0 सिटी, सी0एल0गुप्ता वर्ल्ड स्कूल के पीछे,
रामगंगा विहार, मुरादाबाद।

पत्रांक
सेवा में,

2019

1/व्हाई-45/35

दिनांक : 29/11/2019

ई-मेल द्वारा

प्रभागीय वनाधिकारी,
अमरोहा वन प्रभाग,
अमरोहा।

विषय :-

अमरोहा-काँठ मार्ग किमी0 21.840 से 26.540 तक दांयी पटरी पर उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा किये जा रहे नाले के निर्माण हेतु 1.692 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 374 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :-

आपका मांग पत्र 1749/14-1 दिनांक 23.11.2019

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में दण्डात्मक एन0पी0वी0 एवं ब्याज सहित मु0रू0 16,94,707.00 (रू0 सोलह लाख चौरानवे हजार सात सौ सात मात्र) आनलाइन चालान दिनांक 27.11.2019 के माध्यम से Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11 CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi-110003, IFSC Code-CORP0000371, A/C No.-1509019925152518, AXIS BANK LTD Delhi Road, Moradabad, UTR No.-AXSK193320025867, Deposit Date 28.11.2019 NPV Amount + Intrest Rs. 16,94,707.00 (Rs. Sixteen Lac Ninty four thousand Seven hundred Seven only) जमा करा दिया गया है। ऑनलाइन चालान एवं ट्रांजक्शन रसीद की प्रतियां संलग्नकर इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि लीनियर प्रोजेक्ट में कार्य करने की अनुमति प्रदान करने एवं उत्तर प्रदेश वन विभाग से बाधक वृक्षों का पातन कराने का कष्ट करें।

संलग्नक :- आनलाइन चालान एवं आनलाइन ट्रांजक्शन रसीद।

भवदीय

(राजीव गुप्ता)

परियोजना प्रबन्धक

प्र0सं0 तथा दिनांक यथोपरि।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित।

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद वृत्त मुरादाबाद।
3. क्षेत्रीय वनाधिकारी, अमरोहा।
4. महाप्रबन्धक(नि0-10/नो0अधि0), सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
5. महाप्रबन्धक(नि0-2), सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।

परियोजना प्रबन्धक

Payment Transfer Confirmation

Delhiroad Branchhead

En 12/09/2019 11:00 AM

Tel: helpdesk@axisbank.com or 18001212345
Dear Sir/Madam,

This is to inform you that Rs 1694707/- was transferred to account no. 1509019925152518 in the name of Uttar Pradesh Compa dated 28.11.2019. Other details are provided below:

Sender Name - Director E & AMP; DS UP Jal Nigam Unit 18

Sender Account No - 918010076581132


UTR No - AXSK193320025867

Regards

Arif Ali

Branch Head

Mob 08006400371

For AXIS BANK LTD.

ARIF ALI
AVP & Branch Head
Emp. No. 11119, SS No. 4180

Outward View Details

Message Details

Message Type	Customer Instruction	Txn Reference No	25.1319602841-1
UTR Number	ANSH193320028867	Related Reference No	
Currency	INR	Amount	Rs. 1,694,707.00
Transaction Date	28-Nov-2019	Value Date	28-Nov-2019

Sender Reference

Sender Details

Sending Customer A/c Type		Sending Branch's IFSC	
Sending Customer A/c No	91801076581132	Sender to Receiver Information	
Sending Customer A/c Name	DIRECTOR C & AMP; DSVP JAI NIGAM UNIT 18	Line 2	
Sending Customer Email Id		Line 3	
Sending Customer Mobile No	0900000000	Line 4	
Originator of Remittance	DIRECTOR C & AMP; DSVP JAI NIGAM UNIT 18	Line 5	
Line 1	91801076581132	Line 6	
Line 2			
Line 3			

Beneficiary Details

Beneficiary Branch's IFSC	CORPN000371	Beneficiary Customer Address	
Beneficiary Customer A/c Type		Line 2	
Beneficiary Customer A/c No	1502410928122518	Line 3	
Beneficiary Customer A/c Name	UTAR PRADESH CAMPA	Line 4	
Beneficiary Customer Email Id			
Beneficiary Customer Mobile No			



Status

Request Received from R10	Current Status	Settled; Settlement Notification Received
Batch Time	19000	Error Information

AGENCY COPY
NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA
Date : 27-11-2019

Agency Name.	UTTAR PRADESH JAL NIGAM
Application No.	19925152518
MoEF/SC File No.	8B/UP/09/42/2017/FC
Location.	UTTAR PRADESH
Address.	Project Manager Unit-18 C & D S, U P Jal Nigam, D Moradabad
Amount(In Rs)	1694707/-

Amount in Words :Sixteen Lakh Ninety Four Thousand Seven Hundred and Seven Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details:

Beneficiary Name.	UTTAR PRADESH CAMPA
IFSC Code:	CORP000371
Pay to Account No.	1509019925152518 Valid only for this challan amount
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

BANK COPY
NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA
Date : 27-11-2019

Agency Name.	UTTAR PRADESH JAL NIGAM
Application No.	19925152518
MoEF/SG File No.	8B/UP/09/42/2017/FC
Location.	UTTAR PRADESH
Address:	Project Manager Unit-18 C & D S, U P Jal Nigam, D Moradabad
Amount(In Rs)	1694707/-

Amount in Words :Sixteen Lakh Ninety-Four Thousand Seven Hundred and Seven Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details:

Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
IFSC Code:	CORP000371
Pay to Account No.	1509019925152518 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through
Email: helpdeskampa@corpbank.co.in

Print

Back

उप-२ कस काग
 Case No. 12/2015-16

30, 50 परिधि/सर्किल मुरादाबाद खण्ड/डिवीजन अमरोहा

अन्य अपराध प्रसूचना/रिपोर्ट सं० दिनांक 11-06-15 अधिकक्षेत्र/रेंज अमरोहा
 भारतीय वन अधिनियम 1927 को धारा 33 के अन्तर्गत

- नाम, पिता का नाम और निवास स्थान
 1. श्री नरन सिंह उ० रा०
- साक्षी का नाम
 1. श्री गोविन्द सिंह व द
 2. श्री जेन्दु सिंह माली
 3. श्री राम सिंह वाहन चालक

- श्री गुरकास श० श्री गपुर नि० ग्राम बूचोली थाना देवकूट जि० सहानपुर
- श्री मुल्दकार श० श्री सैन्धु नि० ग्राम श्रीकवी थाना सिकेडा जि० मुजफ्फरगढ़
- इमरान खान श० श्री जमशेद खान थाना सिकेडा जि० ग्राम श्रीलक्ष्मी थाना व थाना असमौली जयपुर स्मथल

कथित अपराध का पूरा विवरण और दिनांक 11-06-15 सक्रम 11 वजे अमरोहा-काठमाग 1km पर 5 को बायीं पट्टी पर सर्वेक्षण

मूल में प्रकृत अमरोहा
 की लीन में प्रकृत
 (यन) रूपा (आ
 का दुर्लभ

रूप से जब निगम शरा सुरक्षित वन क्षेत्र में जो सी.बी. से जाला शुद्धन तथा सर्वेक्षण वृक्षों को काटने/उखाड़ने व क्षति पहुंचाने सम्बन्धी माफिया विभाग के सी.बी. के नं० UP 213/W/ 5174- उखाड़ व आवेक व परीक्षण

क्रमांक	वर्णन	गो०	धरा	पुकाई
1	अम	160cm	हरा	गोके पर पलवा
2	शुके	140cm	हरा	शुई-बुई
3	"	115cm	"	"
4	"	155cm	"	अई-काथ
5	"	125cm	"	"

महोदय दिनांक 11-06-15 को महसूचना मिली कि अमरोहा - काठमाग पर 1km पर 5 को बायीं पट्टी पर जब निगम के शरा अनाधिकृत रूप से सुरक्षित वन क्षेत्र में शूरा का शुद्धन कार्य करा जा रहा है तथा वृक्षों को काटकर खोदकर क्षति पहुंचाई जा रही है। यह सम्म लक्ष्य प्राप्त 11-00 का होगा।

प्रसूचना/रिपोर्ट के ध्येय और प्रमाण आदि का उल्लेख

उपरोक्त इमराहों के साथ गोके पर पहुंचा तो पाया कि उपरोक्त अनुसार जाला शुद्धन कार्य जो सी.बी. के द्वारा करा जा रहा है वहाँ पर मनमाने ढंग से वृक्षों को क्षति पहुंचा जा रही है जिसका बिकरुण उपर उक्ति किया जा चुका है। गोके पर तत्काल कार्रवाई करते हुए जाले का शुद्धन कार्य रखा दिया गया

सीजर रिपोर्ट

अर्न्तगत धारा 3(1) के तहत 1987 (अ.सं. 10) द्वारा जारी की गई है।
03

सेवा में,

माननीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी
अमरोहा

महोदय,

दिनांक 11/6/15 को क्षेत्रीय वनाधिकारी, रेंज अमरोहा वन प्रभाग अमरोहा द्वारा निम्न सम्पत्ति अधिग्रहीत (Seize) की गयी है जो कि वन विभाग के कस्टडी (Custody) में है।

- वन अपराध का विवरण 3(1) के तहत अ.सं. 10/1987 (अ.सं. 10) द्वारा जारी की गई है।
- सीज की गयी सम्पत्ति का विवरण CB No. UP/21AM/17
- अपराधी का नाम व पता [Handwritten Name and Address]

उपरोक्त के सम्बन्ध में रेंज में केस संख्या 03/अमरोहा/15 द्वारा अपराध पंजीकृत कर लिया गया है।

[Signature]
क्षेत्रीय वनाधिकारी
अमरोहा

भवदीय,
11.6.15
क्षेत्रीय वनाधिकारी
अमरोहा

प्रतिलिपि- प्रभारी वनाधिकारी अमरोहा वन प्रभाग, अमरोहा की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय,
11.6.15
क्षेत्रीय वनाधिकारी
अमरोहा

[Signature]

द्वार
स फ
पत्र
द्वार
गक
की

में इमरोह छात्र १९०६ जीमरोह स्थान निवासी
गाम विवाहपत्र पौस्ट व शाना असमोली जिए
समय का मूल निवासी हूं। दिनांक ११-०६
को इमरोह - काठ मार्ग पर जावा शुभान काय
लिए, सी. एन. डी. एन के अधिकारियों के कहने
माबिक के विजा बताये जो सी वी सं० ७१२१५
५१७५

ले कर चला गया जावा शुभान का स्थान
सरलित वन होत की जेहो में आता है
संरक्षित वन सत में विवा अनुमति
जावा घोसा के अपराध को में स्वीकार
करता हूं व माबिक के कहने व डालने व
मुझे कहा पाश्चताप हूँ में कर्म आगे कर
भी ऐसा अपराध नहीं करूंगा। में अपना
पेशवा वन विभाग के सतर से करता
व्याप पदक व समझ के गवाह के समझ
हस्ता वक्ष विवा किसी शवाप के विवे।

दिनांक ३१-०७-१५
दादापति प्रमाणित

क्षेत्रीय वनाधिकारी
अमरोहा

इमरोह स्थान
इमरोह छात्र १९०६
जूमरोह स्थान निवासी
उपरोक्त अनुसार

संरक्षित वन १९०६ स्थान निवासी
गाम पापकिया शाना
इमरोह

बमान को डाल
व विवा जमा
१५-०८-१५

व्यक्ति

मैं - मोहम्मद इकबाल साहब मुस्ताक हुसैन शाह वाजिदपुर
 थाना बिलारी तहसील बिलारी जिला अराधवा इलाका निवासी हूँ।
 जैसी की संख्या UP 21 AN 5174 का वास्तविक मालिक हूँ।
 दिनांक 11/06/2015 को बिना मेरी जानकारी एवं बिना मेरी
 अनुमती के मेरा ड्राइवट इमरान शाह 8% की जमरोहा काग
 विवासी शाह बिलारपुर थाना असमोली जिला सधमत जैसी की
 मशीनसंख्या UP 21 AN 5174 को लेकर अमरोहा को मार्क
 पट नाले को मुदाग करने काग में ड्राइवट इमरान को बिना मेरी
 वन अपराध को जखल करता हूँ, वा अपना कैश को बिपट
 वन विभाग से ही चाहता हूँ। तथा मुआवजा / कृती पूरक के र
 रूपमा एक लाख (100000) जमा करने को ल्यात हूँ।
 मैं उक्त व्यक्ति बिना किसी जोर दवाव वा पूर्ण होश बवास के
 अपनी इच्छा से दे रहा हूँ। वा रूपमा एक लाख (100000) जम
 करने को ल्यात हूँ। मैं कयन देता हूँ कि मकसद इस प्रकार का
 अपराध कमी नहीं होने का उक्त व्यक्ति पर कर व सप्त
 कर वारी कि मौजोदी हस्ताफल किया है।



आपका

मुवाह

आशिकार

दामापर प्रमाणित

आशिकार जैसी मुकदमा भली
 निवासी गाँव पापतीकहाँ थावा
 डिजोवा जिला अमरोहा

M. / AKK...

पानि मंसूरग सं.

की - मुस्ताक हुसैन

दिनांक 11/06/2015

कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पत्रांक - 1610 / 14-1 दिनांक, मुरादाबाद, दिसम्बर, 11 2018

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/गोडल अधिकारी,
उ०प्र० लखनऊ।

विषय :-

अमरोहा-कॉठ मार्ग (M.D.R-150) किमी० 21.840 से 26.540 तक दांयी पटरी पर उ०प्र० जल निगम द्वारा विकसित किये जा रहे नाले के निर्माण हेतु 1.692 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 374 वृक्षों के पातन की अनुमति।

संदर्भ :-

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) की पत्र सं०-8वीं/यू०पी०/०९/४२/२०१७/एफ०सी०/१९९ दिनांक 15.06.2018

महोदय

भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 15.06.2018 के अनुपालन में सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार अनुपालन आख्या/अभिलेख प्रभागीय वनाधिकारी, वन एवं वन्य जीव प्रभाग, अमरोहा ने अपने पत्रांक-2755/14-1, दिनांक 19-11-2018 व 3254/14-1, दिनांक 05-12-2018 द्वारा निम्न प्रकार प्रेषित किये है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, वन एवं वन्य जीव प्रभाग, अमरोहा से प्राप्त बिन्दुवार अनुपालन आख्या/अभिलेखों की 3-3 प्रतियां मूल में संस्तुति सहित अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु आपकी सेवा में प्रेषित है-

Condition No	Conditions	Status of Compliance
1	2	3
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वनभूमि के दुगुने अवनत वन भूमि अर्थात (1.692x2=3.384) अर्थात 3.40 हे० पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।	उक्त शर्त के अनुपालन में याचक विभाग द्वारा ₹० 560000.00 Compensatory Afforestation में जमा कर दिये गये है।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लघनस्वरूप प्रस्तावित वनभूमि के दुगुने अवनत वनभूमि पर अर्थात (1.692x2=3.384) 3.40 हे० पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।	याचक विभाग द्वारा उल्लिखित शर्त के अनुसार Compensatory Afforestation & Net Present Value Application No 19925152145 Date 15.06.2018 Rs 2179192/-की धनराशि IDBI Bank में चालान संख्या S27555296180727 Date 10.07.2018 के माध्यम से जमा कर दी गयी है। जिसकी पुष्टि हेतु चालान की प्रमाणित छायाप्रति सलग्न की जा रही है।(सलग्नक-यथोपरि)
3	(क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी। (ख) इसका उपरान्त याचक विभाग द्वारा ऑन लाइन पोर्टल के माध्यम से जमा की गयी धनराशि की ई-रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाये। तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जायेगा। (ग) प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेगा कि यदि एन.पी.वी. की दर में बढ़ोतरी होती है तो बड़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।	याचक विभाग द्वारा उल्लिखित शर्त के अनुसार Compensatory Afforestation & Net Present Value Application No 19925152145 Date 15.06.2018 Rs 2179192/-की धनराशि IDBI Bank में चालान संख्या S27555296180727 Date 10.07.2018 के माध्यम से जमा कर दी गयी है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की गयी धनराशि की ऑनलाइन ई-रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या मदवार विवरण अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन.पी.वी० की जमा धनराशि का पूर्ण विवरण पत्र के साथ सलग्न किया जा रहा है।
4	विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अतः एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगने वाले प्रत्येक स्तम्भ के आगे (forward) एवं पीछे (backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगी।	वचनबद्धता सलग्न है, उक्त शर्त का अनुपालन याचक विभाग द्वारा किया जायेगा।
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिम्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगा।	मक डिम्पोजल योजना पूर्व में ही उपरोक्त पत्र संख्या 47 ए एवं 47 बी पर सलग्न है।

6	प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, द्वारा निर्गत अघतन दिशा निर्देश दिनांक 29.01.2018 के अनुसार दंडात्मक सशि का निर्धारण करते हुए राज्य सरकार द्वारा उसकी वसूली एवं अन्य वैधानिक कार्यवाई सुनिश्चित करते हुए क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ को समस्त विवरण से अवगत कराया जाएगा।	याचक विभाग द्वारा दूगनी अवनत वनभूमि पर दण्डात्मक क्षतिपूरक वनीकरण की धनराशि रू० 560000.00 विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है।
7	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना प्रेषित करते हुए संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के विषय में अघतन सूचना/प्रमाण प्रस्तुत करेंगे।	प्रमाण-पत्र सलग्न है।
8	सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत होने के पश्चात प्रकरण में कार्यानुमति यदि निर्गत की जाती है तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र- 11-306/2014-एफ०सी० (pt.) दिनांक 28.08.2015 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित की जाएगी। कार्यानुमति देने के पूर्व वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के लिए कमांक 6 में वर्णित शर्त का अनुपालन किया जाएगा।	अनुपालन किया जायेगा।
9	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।	अनुपालन किया जायेगा।
	C A Amount as per proposal	560000.00
	CA Amount deposited	560000.00
	Difference in amount	--
	Reason for difference	--
	NPV amount as per proposal	1059192.00
	NPV amount deposited	1059192.00
	Difference in amount	--
	Reason for difference	--
	Any other amount deposited-(Complete details be provide)	560000.00 Penal C.A.Amount
	CAMPA confirmation	Atatched

सलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(आर०पी० वर्मा)

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,

मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

संख्या 1610 / 14-1 उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी, वन एवं वन्य जीव प्रभाग, अमरोहा को उनके पत्रांक-2755/14-1, दिनांक 19-11-2018 व 3254/14-1, दिनांक 05-12-2018 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आर०पी० वर्मा)

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,

मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी वन एवं वन्य जीव प्रभाग, अमरोहा।

पत्रांक 3254/14-1, दिनांक, अमरोहा, दिसम्बर, 05 2018

सेवा में

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक

मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद।

विषय :-

अमरोहा-कॉठ मार्ग (M.D.R-150) किमी 21.840 से 26.540 तक दांयी पटरी पर उ0प्र0 जल निगम द्वारा विकसित किये जा रहे नाले के निर्माण हेतु 1.692 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 374 वृक्षों के पातन की अनुमति।

संदर्भ :-

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) की पत्र सं०-8बी/यू0पी0/09/42/2017/एफ0सी0/190 दिनांक 15.06.2018 एवं आपका पत्र संख्या 1474/14-1, दिनांक 28.11.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके संदर्भित पत्र के माध्यम से अमरोहा-कॉठ मार्ग (M.D.R-150) किमी 21.840 से 26.540 तक दांयी पटरी पर उ0प्र0 जल निगम द्वारा विकसित किये जा रहे नाले के निर्माण हेतु 1.692 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 374 वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु प्रेषित अनुपालन आख्या की गयी आपत्तियों का निराकरण करते हुए निम्न प्रकार अनुपालन रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है :-

1. प्रयोक्ता एजेंन्सी द्वारा प्रेषित अनुपालन आख्या की चार-चार प्रमाणित प्रतियां पत्र के साथ संलग्न की जा रही है। (संलग्नक-एक)
2. वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के विषय में प्रमाण-पत्र की चार प्रतियां मूल में संलग्न की जा रही है। (संलग्नक-दो)

अतः प्रयोक्ता एजेंन्सी द्वारा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत की गयी, सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन रिपोर्ट मय संलग्नकों के संस्तुति सहित आपकी सेवा में प्रेषित की जा रही है। कृपया अन्तिम स्वीकृति हेतु उक्त अनुपालन रिपोर्ट उच्च स्तर को प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग
अमरोहा।

3/11/18
320/28/18
3/11/18

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी वन एवं वन्य जीव प्रभाग, अमरोहा।

पत्रांक 2155/14-1, दिनांक, अमरोहा, नवम्बर 19 2018

सेवा में

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक

मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद।

विषय :- अमरोहा-कॉट मार्ग (M.D.R-150) किमी 21.840 से 26.540 तक दांयी पटरी पर उ०प्र० जल निगम द्वारा विकसित किये जा रहे नाले के निर्माण हेतु 1.692 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 374 वृक्षों के पातन की अनुमति।

संदर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) की पत्र सं०-8वी/यू०पी०/०९/४२/२०१७/एफ०सी०/१९० दिनांक 15.06.2018


महोदय,

उपरोक्त विषयक वन संरक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के पत्र सं० 8वी/यू०पी०/०९/४२/२०१७/एफ०सी०/१९० दिनांक 15.06.2018 के माध्यम से अमरोहा-कॉट मार्ग (M.D.R-150) किमी 21.840 से 26.540 तक दांयी पटरी पर उ०प्र० जल निगम द्वारा विकसित किये जा रहे नाले के निर्माण हेतु 1.692 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 374 वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की सभी शर्तों का अनुपालन करते हुए जमा की गई धनराशि की पुष्टि हेतु Online Payment History की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत की गयी है सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार अनुपालन आख्या निर्धारित प्रारूप में निम्न प्रकार आपकी सेवा में प्रेषित की जा रही है :-

S. No	Condition	Status of compliance
1	2	3
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वनभूमि के दुगुने अवनत वन भूमि अर्थात् (1.692x2=3.384) अर्थात् 3.40 हे० पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।	उक्त शर्त के अनुपालन में याचक विभाग द्वारा रू० 560000.00 Compensatory Afforestation में जमा कर दिये गये हैं।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघनस्वरूप प्रस्तावित वनभूमि के दुगुने अवनत वनभूमि पर अर्थात् (1.692x2=3.384) 3.40 हे० पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।	याचक विभाग द्वारा उल्लिखित शर्त के अनुसार Compensatory Afforestation & Net Present Value Application No 19925152145 Date 15.06.2018 Rs 2179192/-की धनराशि IDBI Bank में चालान संख्या S27555296180727 Date 10.07.2018 के माध्यम से जमा कर दी गयी है। जिसकी पुष्टि हेतु चालान की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न की जा रही है।(संलग्नक-यथोपरि)
3.	(क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी।	याचक विभाग द्वारा उल्लिखित शर्त के अनुसार Compensatory Afforestation & Net Present Value Application No 19925152145 Date 15.06.2018 Rs 2179192/-की धनराशि IDBI Bank में चालान संख्या S27555296180727 Date 10.07.2018 के माध्यम से जमा कर दी गयी है।
	(ख) इसके उपरान्त याचक विभाग द्वारा ऑन लाइन पोर्टल के माध्यम से जमा की गयी धनराशि की ई-रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाये। तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की गयी धनराशि की ऑनलाइन ई-रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या मदवार विवरण अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन.पी.वी० की जमा धनराशि का पूर्ण विवरण पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है।
	(ग) प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन.पी.वी. की दर में बढोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।	उक्त शर्त का अनुपालन याचक विभाग द्वारा किया जायेगा। वचनबद्धता संलग्न है.
4	विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (forward) एवं पीछे (backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगी।	वचनबद्धता संलग्न है, उक्त शर्त का अनुपालन याचक विभाग द्वारा किया जायेगा।


प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।	मक डिस्पोजल योजना पूर्व में ही प्रस्ताव के पेज संख्या 47 ए एवं 47 बी. पर संलग्न है।
6 प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, द्वारा निर्गत अघतन दिशा निर्देश दिनांक 29.01.2018 के अनुसार दंडात्मक राशि का निर्धारण करते हुए राज्य सरकार द्वारा उसकी वसूली एवं अन्य वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ को समस्त विवरण से अवगत कराया जाएगा।	याचक विभाग द्वारा दूगनी अवनत वनभूमि पर दण्डात्मक क्षतिपूरक वनीकरण की धनराशि रू0 560000.00 विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है।
7 सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना प्रेषित करते हुए संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के विषय में अघतन सूचना/प्रमाण प्रस्तुत करेंगे।	प्रमाण-पत्र संलग्न है।
8 सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत होने के पश्चात प्रकरण में कार्यानुमति यदि निर्गत की जाती है तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र-11-306/2014-एफ0सी0 (pt.) दिनांक 28.08.2015 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित की जाएगी। कार्यानुमति देने के पूर्व वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के लिए कर्मांक 6 में वर्णित शर्त का अनुपालन किया जाएगा।	अनुपालन किया जायेगा।
9 प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।	अनुपालन किया जायेगा।
C A Amount as per proposal	560000.00
CA Amount deposited	560000.00
Difference in amount	--
Reason for difference	--
NPV amount as per proposal	1059192.00
NPV amount deposited	1059192.00
Difference in amount	--
Reason for difference	--
Any other amount deposited-(Complete details be provide)	560000.00 Penal C.A.Amount
CAMPA confirmation	Attched

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

 (रमेश चन्द्र)
 प्रभागीय वनाधिकारी
 प्रभागीय वनाधिकारी
 वन एवं वन्य जीव प्रभाग
 अमरगढ़

PROFORMA

1	Name of Regional Office	Moradabad Circle Moradabad
2	State/Distt/forest Division to which the proposal relates	U.P. Amroha, Forest Division Amroha.
3	Name of User Agency, nature of proposal	Project Manager Unit-18 C & D.S U.P. Jal Nigam Moradabad,
4	Extent of forest area involved	1.692 hac.
5	Whether original, or extension	Original
6	If extension of lease, PI clarify if proposal involves additional forest area, and if so, spicily	No
7	Date of 1 st Stage Clearance	15.06.2018
8	Extent of CAMPA charges, head wise viz	-
	a- Compensatory afforestation	560000.00
	b- Additional CA	-
	c- Penal CA	560000.00
	d- Catchment Area Treatment	-
	e- Wildlife Management Plan	-
	f- Additional charge for diversion of area falling under notified/ protected areas	-
	g- Net present value	1059192.00
	h- Any other charges/Levies (pl specify)	-
9	Details of Bank (Bank, Draft No. Date as Indicated in paragraph) 8 above	-----
10	Whether deposited by RTGS, If so, the particulars & date of remittance	Online generate RTGS Challan Corporation Bank, Compensatory Afforestation & Net Present Value Application No. 19925152145 Date 15.06.2018 Rs 2179192/-
11	Bank (corporation bank, Lodhi complex/ Union Bank of India, Sunder Nagar) in which deposited, with date of deposition	IDBI Bank Date 10.07.2018
12	Any other remarks	--


 Divisional Director
 Amroha forest Division
 Amroha

513-45

Online payment history made by User Agency under CAMPA

Sno.	Proposal Detail	Application No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE (in Rs.)	Amount to be Paid/Amount Paid	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	<p>FP/UP/Other/25152/2017 View report.aspx? pid=FP/UP/Other/25152/2017)</p> <p>M/s CBDS unit -18 UP Jal Nigam Mirzapur by Proposed Amraha city water drainage from Fateebam inter college Amraha to Bagan river Along Amraha -Kanthi Road (N.D.U.R. No. 150) km. Charnage 21.840 to 26.540 Tetsal 80-smc Amraha.</p>	OTHERS251522017145	19925152145	15 Jun 2018	56000/- Add CA :52000/- PCA: 0/- CAT: 0/- Safety Zones: 0/- Add PA: 0/- NPV: 1059152/- Other Charges: 0/- Other Charges: 0/- Other Charges: 0/- Other Charges: 0/- Total: 2179152/-	PAID	<p>Verified by :05 Jul 2018</p> <p>Widal Officer</p> <p>On</p> <p>Bank Name : Corporation Bank</p> <p>Mode of Payment : NEFT/RTGS (Chaitan)</p> <p>Chaitan Generated :06 Jul 2018</p> <p>On Transaction :10 Jul 2018</p> <p>Date</p>	<p>Demand Letter ./writoraxdab/fundsd/7152152181217183442/aperfzjvabAmraha/Forest/Chaitan).pdf</p> <p>Generated Chaitan (-AlkexMzoun/Net_ChaitanCorp.aspx? Corporation Bid=OTHERS251522017145)</p>

Help


[\(HTTP://WWW.PMINDIA.GOV.IN/EN/\)](https://www.pmindia.gov.in/en/)

[\(HTTPS://SWACHHBHARAT.MYGOV.IN/\)](https://swachhbiharat.mygov.in/)

[\(HTTPS://WWW.MYGOV.IN/\)](https://www.mygov.in/)

[WWW.DIGITALINDIA.GOV.IN](http://www.digitindia.gov.in)

[Meity \(HTTP://MEITY.GOV.IN\)](http://meity.gov.in)

[\(HTTPS://DATA.GOV.IN\)](https://data.gov.in/)

Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India
 Terms & Conditions (<https://parivesh.nic.in/TermsandConditions.aspx>) | Privacy Policy
 (<https://parivesh.nic.in/privacy/policy.aspx>) | Copyright Policy (<https://parivesh.nic.in/CopyrightPolicy.aspx>) | Hyperlinking Policy

http://aresclearance.nic.in/UserAccount/Payment_history.aspx

For any Technical support, Please Contact
 EFCOID, NIC, New Delhi, monitoring-
 ic(at)nic(dot)gov.in

IDBI BANK LTD.

RTGS_Outward_Advice_IBKLR92018071000073617

DATE: 27-07-2018
TIME: 12:40:53

RTGS SETTLEMENT REPORT

CREATE DATE	: 10-JUL-2018	CREATOR BY	: HOST
MESSAGE TYPE	: 298	SUB MESSAGE TYPE	: R41
MESSAGE PRIORITY	: 20	POSSIBLE DUPLICATE MSG	: NO
UTR	: IBKLR92018071000073617	RETURN PAYMENT	: NO
RECEIVER	: CORP0000371	SENDER	: IBKL0000122
DIRECTION	: OUTGOING		
STATUS	: SETTLED @ ::		

:2020: Transaction Reference Number	Transaction Reference Number	527555296180727
:4488: Value Date, Currency, Amount	Value Date	10-JUL-2018
	Currency	INR
	Amount	21,79,192.00
:5500: Ordering Customer	Account Number	1002104000069605
	Name	DIRECTOR C DS UNIT 18 UP JAL N
	Address	D - 20 GREEN LANE, TDI CITY
		NR CLGUPTA WORLD SCHOOL
:5517: Ordering Institution	Bank Identifier Code	
:5561: Beneficiary Customer	Account Number	1509019925152145
	Name and Address	UTTAR PRADESH CAMPA
		NEW DELHI
:7495: Sender to Receiver Information	Code	/FINRTGS/
	Additional Information	//R
		//R
		//R
		//R
		//R

End of Report

AGENCY COPY
NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA
Date : 06-07-2018

Agency Name.	UTTAR PRADESH JAL NIGAM
Application No.	19925152145
MoEF/SG File No.	8B/UP/09/42/2017/FC
Location.	UTTAR PRADESH
Address.	Project Manager Unit-18 C & D S, U P Jal Nigam, DMoradabad
Amount(In Rs)	2179192/-

Amount In Words :Twenty-One Lakh Seventy-Nine Thousand One Hundred and Ninety-Two Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	1509019925152145 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

BANK COPY
NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA
Date : 06-07-2018

Agency Name.	UTTAR PRADESH JAL NIGAM
Application No.	19925152145
MoEF/SG File No.	8B/UP/09/42/2017/FC
Location.	UTTAR PRADESH
Address:	Project Manager Unit-18 C & D S, U P Jal Nigam, D Moradabad
Amount(In Rs)	2179192/-

Amount In Words :Twenty-One Lakh Seventy-Nine Thousand One Hundred and Ninety-Two Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	1509019925152145 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through
Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in




कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, यूनिट-18,
कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज,
उत्तर प्रदेश जल निगम
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
डी-20, टी0डी0आई0 सिटी, सी0एल0गुप्ता वर्ल्ड स्कूल के पीछे,
रामगंगा विहार, मुरादाबाद।

पत्रांक 1926 / कार्य-45 / 33 दिनांक : 15/11/2018

एन0पी0वी0 की दरों में बढ़ोत्तरी हेतु वचनबद्धता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के अमरोहा कांट मार्ग पर कि0मी0 1 से कि0मी0 5 तक दायीं पटरी पर नाला निर्माण हेतु आवंटित वनभूमि में मांगी गयी वनभूमि के स्थान पर वनीकरण एवं भूमि के एन0पी0वी0 में केन्द्र सरकार द्वारा वृद्धि करने पर याचक विभाग सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, यूनिट-18, मुरादाबाद भुगतान हेतु वचनबद्ध है।

(रमेश चन्द्र)
प्रभागीय वनप्रकारि
वन एवं वन्य जीव प्रभाग
अमरोहा


परियोजना प्रबन्धक,
यूनिट-18, सी0एण्ड डी0एस0,
उ0प्र0 जल निगम, मुरादाबाद।



कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, यूनिट-18,
कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज,
उत्तर प्रदेश जल निगम
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
डी-20, टी0डी0आई0 सिटी, सी0एल0गुप्ता वर्ल्ड स्कूल के पीछे,
रामगंगा विहार, गुरादाबाद।

पत्रांक 1926 / कार्य-45 / 33 दिनांक : 15/11/2018

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं जीव प्रभाग,
अमरोहा।

विषय :-

अमरोहा-कॉट मार्ग (M.D.R.-150) किमी0 21.840 से 26.540 तक दांयी पटरी पर उ0प्र0 जल निगम द्वारा विकसित किये जा रहे नाले के निर्माण हेतु 1.692 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 374 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :-

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) की पत्र सं0-8बी/यू0पी0/09/42/2017/एफ0सी0/190 दिनांक 15.06.2018 तथा प्रभागीय वनाधिकारी, अमरोहा की पत्र सं0-3282/14-1 दिनांक 27.06.2018, 724/14-1 दिनांक 13-9-2018, 1088/14-1 दिनांक 12.10.2018 एवं 1776/14-1 दिनांक 31.10.2018

उपरोक्त विषयक/सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करे जिसमें विषयक अमरोहा-कॉट मार्ग (M.D.R.-150) किमी0 21.840 से 26.540 तक दांयी पटरी पर उ0प्र0 जल निगम द्वारा विकसित किये जा रहे नाले के निर्माण हेतु 1.692 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 374 वृक्षों के पातन अनुमति भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति में दी गयी शर्तों के अनुपालन हेतु निम्न प्रकार अनुपालन रिपोर्ट आपकी सेवा में प्रेषित की जा रही है :-

1. विभाग की ओर से वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन भूमि के दोगुने अवनत वन भूमि अर्थात् $(1.692 \times 2 = 3.384)$ अर्थात् 3.4 हेक्टेयर पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु (अमरोहा वन प्रभाग को दोगुने अवनत वन भूमि अर्थात् 3.40 हेक्टेयर भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों के अनुरक्षण की धनराशि रू0 5,60,000.00 ई-पोर्टल के माध्यम से कैम्पा नई दिल्ली में जमा की जा चुकी है, जिसकी पावती रसीद संलग्न है।
2. विभाग की ओर से वन विभाग के पक्ष में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन स्वरूप प्रस्तावित वन भूमि के दोगुने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों के अनुरक्षण की धनराशि रू0 5,60,000.00 ई-पोर्टल के माध्यम से कैम्पा नई दिल्ली में जमा की जा चुकी है, जिसकी पावती रसीद संलग्न है।

उपरोक्त विषयक/सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करे जिसमें विषयक अमरोहा-कॉट मार्ग (M.D.R.-150) किमी0 21.840 से 26.540 तक दांयी पटरी पर उ0प्र0 जल निगम द्वारा विकसित किये जा रहे नाले के निर्माण हेतु 1.692 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 374 वृक्षों के पातन अनुमति भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति में दी गयी शर्तों के अनुपालन हेतु निम्न प्रकार अनुपालन रिपोर्ट आपकी सेवा में प्रेषित की जा रही है :-

3. (क) माननीय उच्चतम न्यायालय के पिटीशन (सिविल)202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार प्रस्तावित वनभूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि रू0 10,59,192.00 ई-पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से कैम्पा नई दिल्ली में जमा की जा चुकी है। जिसकी रसीद संलग्न है।

(ख) ऑनलाईन पेमेन्ट के माध्यम से कैम्पा नई दिल्ली में जमा की गई क्षतिपूरक वनीकरण एवं एन0पी0वी0 की धनराशि की ई रसीद की पावती सहित मूल में पत्र के साथ संलग्न कर आपको प्रेषित की जा रही है।

(ग) यदि भविष्य में एन.पी.वी. की दरों में बढोत्तरी होती है, तो बढी हुई धनराशि का भुगतान परियोजना प्रबन्धक, यूनिट-18, सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, मुरादाबाद द्वारा किया जायेगा। इस आशय का बचनबद्धता प्रमाण-पत्र पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है।

4. विधिवत स्वीकृत जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्रों का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमाकॅन परियोजना प्रबन्धक, यूनिट-18, सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, मुरादाबाद द्वारा किया जायेगा तथा अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पिलर पर दर्शाया जायेगा एवं वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (Forward) एवं पीछे (Backward) उनकी दिशा (Bearing) भी लिखी जायेगी।

5. मक डिस्पोजल योजना प्रस्ताव में संलग्न किया जा चुका है।

6. प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, द्वारा निर्गत अद्यतन दिशा निर्देश दिनांक 29.01.2018 के अनुसार दंडात्मक धनराशि स्वरूप प्रस्तावित वन भूमि के दुगुने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों के अनुरक्षण की धनराशि रू0 5,60,000.00 जमा की जा चुकी है।

7. परियोजना प्रबन्धक यूनिट-18, सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, मुरादाबाद द्वारा वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा।

उक्त प्रस्ताव में सम्मिलित बाधक वृक्ष 374 नग का छपान किये जाने हेतु रू0 प्रति वृक्ष के दर से रू0 3,740.00 का बैंक ड्राफ्ट संख्या-019527, दिनांक 18.08.2018 जो कि प्रभागीय वनाधिकारी, अमरोहा के नाम देय है, इस कार्यालय के पत्रांक 1424/कार्य-45/25 दिनांक 20.08.2018 द्वारा आपको प्रेषित कर दिया गया है। अतः उक्त के सम्बन्ध में आवश्यक अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक :- आनलाईन जमा धनराशि की पावती रसीद(3 प्रक) एवं उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र।

प्रभागीय वनाधिकारी
अमरोहा, वन प्रभाग
अमरोहा

भवदीय
X(एस0के0 गुप्ता)
परियोजना प्रबन्धक

सू० तथा दिनांक यथोपरि।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य वन-संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. वन-संरक्षण/क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद वृत्त मुरादाबाद को उनके पत्रांक 1328/14-1 मुरादाबाद, दिनांक 13.11.2018 के अनुक्रम में।
3. महाप्रबन्धक(नि०-1), सी०एण्ड डी०एस०, उ०प्र० जल निगम, गाजियाबाद।

ड/प्रबन्धक

प्रणालीय वनाधिकारी
अमरोहा वन प्रभाग
अमरोहा

परियोजना प्रबन्धक

प्रमाण-पत्र

“प्रमाणित किया जाता है, कि अमरोहा-काँठ मार्ग (M.D.R-150) किमी 0 21.840 से 26.540 तक दांयी पटरी पर उ०प्र० जल निगम द्वारा विकसित किये जा रहे नाले के निर्माण हेतु 1.692 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 374 वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु प्रस्तावित स्थल का अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर लिया गया है।

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अमरोहा-काँठ मार्ग की संरक्षित वन पट्टी पर नाला निर्माण हेतु खुंदाई किये जाने के वन अपराध के क्रम में भा०वन अधिनियम 1927 की धारा-33 के तहत वन अपराध संख्या 3/2015-16 जारी कर वैधानिक कार्यवाही की गई है। प्रकरण में प्रशमन शुल्क लेकर वाद निस्तारित कर दिया गया था। इसका पूर्ण उल्लेख प्रस्ताव में है।

(रमेश चन्द्र)

प्रभागीय वनअधिकारी
वन अमरोहा-काँठ मार्ग प्रभाग
अमरोहा